फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गोपाल बनाम लादु (वगैरा)

मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 62 सन् 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7.7.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
7-20	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त है। [illegible] पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-20	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। [illegible] पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
8-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 से 8 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प० किये गये, वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 4 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते है तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प० की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	विपक्षी नं 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। 7/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ोठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या – 62/20 प्रा. पत्र

-श्री गोपाल s/o श्री मांगीलाल प्रजापत निवासी- दांता लुहारिया तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

-श्री लादु s/o श्री घीसा ब्राह्मण निवासी- दांतालुहारिया तहसील- माण्डल (वगैरा)
(प्रा.पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07.08.20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम........दांता लुहारिया........पटवार हल्का........लुहारिया........तहसील माण्डल में उसके ते /संयुक्त खाते की आराजी नं.:1504/22,1543/22,1542/22 कुल किता........03........रकबा........05 गा........—........बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ों होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....08-06-20........को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........दांता लुहारि........ पटवार हल्का........लुहारिया........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं........1504/22,1543/22, 1542/22........कुल किता........03........रकबा........05 ोघा........—........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये ाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक........लुहारिया II........400/- पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:38:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner